

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन, 21, मंगलवार, शाके 1948- अक्टूबर 13, 2026 Asvina 21, Tuesday, Saka 1948- October 13, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त विभाग

(वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 12, 2026

संख्या प 7 (1)वित्त/विआएवंआमा/एसएफसी/2024 :—महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243—आई और 243—वाई, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के अनुसरण में आदेश दिनांक अगस्त 01, 2025 (जिसे राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प 7 (1)वित्त/विआएवंआमा/ एसएफसी/2024 दिनांक अगस्त 01, 2025 के द्वारा प्रकाशित किया गया था) के द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव का कार्यकाल दिनांक 31 जनवरी, 2028 तक बढ़ाया जाता है।

जयपुर

दिनांक: 08 अक्टूबर, 2026

हरिभाऊ बागडे,

राज्यपाल, राजस्थान।

(धीरज सिसोदिया)

संयुक्त शासन सचिव

Finance Department
(Finance Commission & Economic Affairs Division)
NOTIFICATION
Jaipur, October 12, 2026

No. F7(1)FD/FC&EAD/SFC/2024 .-The following order made by the Governor is published for general information:-

ORDER

In pursuance of the provision of Articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India and the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 and the Rajasthan Municipalities Act, 2009, the tenure of the Chairman and the Member Secretary of the State Finance Commission, constituted vide order dated 01st August 2025 (vide the notification No. F 7 (1) FD / FC&EAD /SFC/2024 dated 01st August 2025 of Government of Rajasthan in the Finance Department) is extended up to 31th January, 2028.

Jaipur.
Dated: October 08, 2026

(Haribhau Bagde)
Governor of Rajasthan

Dheeraj Sisodia,
Joint Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।